

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: रापक/संस्था/34-00259/2024/95

दिनांक: 23.2.24

--कार्यालय आदेश--

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक 06(01) चिस्वा/2/2022/ई-24757 जयपुर, दिनांक 11.02.2024 द्वारा डॉ. रिछपालराम, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, परिवार कल्याण मुख्यालय जयपुर को राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 50(1) तहत दिनांक 01.03.2024 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप डॉ. रिछपालराम, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को दिनांक 29.02.2024 को मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है एवं दिनांक 1.3.2024 को अकार्य दिवस होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि इस विभाग में उपलब्ध कार्मिक अधिकारी के सेवा रिकार्ड के आधार पर डॉ. रिछपालराम के विरुद्ध आज दिनांक को कोई विभागीय जांच आदि विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(डॉ0 लोकेश चतुर्वेदी)

निदेशक (प0क0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

दिनांक: 23.2.24

क्रमांक: रापक/संस्था/34-00259/2024/95

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जनस्वा0/प0क0) मुख्यालय।
3. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/अराजपत्रित) मु. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार (प0क0), मुख्यालय।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी (प0क0) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी की नियमानुसार एलपीसी जारी करावे।
6. भण्डार अधिकारी (प0क0), मुख्यालय को भेजकर लेख है कि संबंधित अधिकारी को अदेय प्रमाणपत्र दिलवाने का श्रम करावे।
7. संस्थापन अधिकारी (प.क.) मु., जयपुर।
8. डॉ0 रिछपालराम, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को भेजकर लेख है कि पेंशन प्रकरण अविलम्ब ऑनलाईन प्रस्तुत करावें।
9. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
10. आदेश/निजी पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Lokesh Chaturvedi

Designation: Director

Date: 2024.02.22 10:14:27 IST

Reason: Approved

